

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
उनवान सरकार बनाम सोनी राय तज्ज  
राय

21/3

मुकदमा नं० 5311 निर्णय दि०.....

पत्नी सोनी राय उपायवाही  
तज्ज तज्ज की वकील के साथ  
जवाबदागी करते समय जज के  
उपस्थित में प्रत्यक्ष  
हो

नामांकन संख्या: 131/17 के एक मुकदमा मय इनिशियल्स जज

महेश लाल शर्मा

18/3

पत्नी सोनी राय के अलावा अन्य कोई व्यक्ति इस  
में शामिल नहीं है।

पत्नी का बयानोक्त किया।  
जिससे इसे 20 557, 556, 20  
अला- सिकराना नगर 20 सिकराना नगर  
3/5 ब्लॉक के अधिकार का बयान ले कर  
इस पर पत्नी 2 5-5-57 को सिकराना  
के जहा से उक्त इतिहास तक की गई थी  
जिसका 20 17 नहीं किया। फिर भी गलत  
बयान से यह इसे की वकील ने बयान ले  
इसके की इतिहास 2 5-5-57 को सिकराना  
सिकराना के इतिहास ले कर है। भी गलत इतिहास  
इसके बिना जाने योग्य है।

इसलिए पत्नी इसका न कोई भी पर इतिहास  
उक्त कथन की वकील को ही लेकिन पत्नी की  
बयान पर नहीं की।

महेश लाल शर्मा

फुद अहकाम

फिन (25)

जयराव नरेशी सिकराय .....

बनाम ... सदा नरेश

मुकदमा ... ३५५ ... मु० नं० ... ५११११

हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म

महः २५५५ नारी इकी बिना जा राई  
 हुका जलपि २५५५ नं ५५६, ५५७  
 नारी सदा सुभकिराने न सिकराय के सपिध  
 जस्य न सिकराय के सिरी पर निर्मात के स  
 ऊकदी नं २ सदिग १५५५ सपिध सिकराय  
 लुहीत न १५५५ सपिध बिना जब सपिध  
 सिरी के एकली न १५५५ सदि के सपिध  
 सदा सिकराय न २ सदिग १५५५  
 नारी सदा सिकराय के सपिध न  
 सदा सिकराय के सपिध न  
 सिकराय सदा सिकराय के सपिध न  
 सिकराय सदा सिकराय के सपिध न  
 सिकराय सदा सिकराय के सपिध न

उपखण्ड अधिकारी  
 सिकराय जिला-दौसा